96

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4272 *– विरूद्ध
आदेश दिनांक 9–2–2016 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला रीवा –
प्रकरण क्रमांक 105 अ–12/2009–10 निगरानी

1– देवराज शुक्ल मृतक वारिस
अ– श्रीकांत पुत्र देवराज
ब– नागेन्द्र पुत्र देवराज
स– राघवेन्द्र पुत्र देवराज
द– नन्दलाल पुत्र देवराज
क– श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व.देवराज
2– हेमराज पुत्र शेषमणि
सभी ग्राम मढ़ा रघुवर तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– बसंतलाल पुत्र सुदामाराम निवासी ग्राम मढ़ा
रघुवर तहसील हनुमना जिला रीवा
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती सरोज कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 09–03–2018 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 105/अ–12/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–2–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बसंतलाल पुत्र सुदामाराम ने नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी को आवेदन देकर उसके स्वामित्व की ग्राम मढ़ा रघुवर

स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 151 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के सीमांकन की प्रार्थना की नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 11 अ 12/2009-10 पॅजीबद्ध किया तथा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराते हुये, आवेदकगण की आपत्ति पर विचार कर आदेश दिनांक 8-6-2010 पारित किया एंव सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 105/अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-2-16 से निगरानी निरस्त कर दी। कलेक्टर जिला रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकित भूमि से आवेदकगण की भूमि सर्वे नंबर 150 लगी हुई है जिसके उत्तरी सीमा में जानबूझकर बड़ाकर पत्थर गड़वाये गये हैं। आवेदकगण को जब सीमांकन की जानकारी हुई, नायव तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की गई , परन्तु नायव तहसीलदार ने वास्तविकता जाने बिना ही आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में भूल की है। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-6-2010 के विरूद्व कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी की गई, कलेक्टर रीवा ने सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है क्योंकि आवेदकगण की जमीन पुस्तैनी है एंव पुरखों के जीवनकाल से सीमांकित भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे है जिसकी सीमा रेखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिये निगरानी स्वीकार की जाय एंव एकपक्षीय सीमांकन निरस्त किया जावे क्योंकि सीमांकन से आवेदकगण की भूमि जानबूझकर प्रभावित की गई है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व की है एंव वह शासकीय अभिलेख में रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि

को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 8-6-2010 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 9-2-16 निकाले गये निष्कर्ष इन्हीं कारणों से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाये गये हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 105/अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-2-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर